रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2014/श्रावण 17, 1936
No. 414] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2014/SHRAVANA 17, 1936

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 574(अ).—जबकि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की तारीख 20 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.101(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 20 फरवरी, 2014 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 112 की अपेक्षानुसार उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले जिसको राजपत्र में उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध करवाई गई थीं, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, अर्थात् भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2014 प्रकाशित की गई थी।

और राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, आम जनता को 7 मार्च, 2014 को उपलब्ध करवा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर आम जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत:, अब, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 109 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ग), (घ), (न) और (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है:-

अध्याय 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं ;

(ग) "सामाजिक समाघात निर्धारण" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई निर्धारण अभिप्रेत है ;

(घ) "सामाजिक समाघात प्रबंध योजना" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भागरूप में तैयार की गई योजना अभिप्रेत है ;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

सामाजिक समाघात निर्धारण

3. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन.—(1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सामाजिक समाघात निर्धारण के संबंध में इन नियमों के प्ररूप 1 के भाग आ के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी और उसे स्थानीय भाषा में, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलक्टर, उप खंड मजिस्ट्रेट और तहसील में कार्यालयों में उपलब्ध कराएगी तथा प्रभावित क्षेत्र में पोस्टरों और पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित करेगी और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर पोस्टर चिपकाकर प्रचालित करेगी तथा उसे समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करेगी :

परंतु ऐसी अधिसूचना, अपेक्षक निकाय द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए ऐसी प्रसंस्करण फीस, जो नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन अवधारित की जाएगी, जमा करने के पश्चात् तीस दिन के भीतर जारी की जाएगी ।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण, संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श से अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजनों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर किया जाएगा। इसके उपरांत प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई की तारीख और समय तथा स्थान का व्यापक प्रचार करके जन सुनवाई की जाएगी ताकि प्रभावित कुटुंबों के दृष्टिकोण, जिसे अभिलिखित किया जाएगा, का पता लगाया जा सके।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण प्ररूप 2 में समुचित सरकार को उसके प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावित कुटुंबों के सम्मिलित अभिलिखित दृष्टिकोण होंगे ।

(4) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन परियोजना के समाघात के लिए हाथ में लिए जाने वाले प्रोन्नति कारक उपायों को सूचीबद्ध करने वाली सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ प्ररूप 3 में प्रस्तुत की जाएगी ।

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम की स्थानीय भाषा में, प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर और जिला कलक्टर, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी और इसे समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ।

4. सांस्थानिक सहायता और सामाजिक समाघात निर्धारण को सुकर बनाना.—(1) समुचित सरकार एक स्वतंत्र संगठन की पहचान करेगी या स्थापना करेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सामाजिक समाघात निर्धारणों का गठन और संचालन, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षक निकाय से भिन्न व्यक्ति या निकायों द्वारा किया जाता है ।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई निम्नलिखित कार्यों को करेगा, अर्थात्:-

(क) अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण, स्रोत भागीदारों और व्यवसायियों का एक डेटाबेस तैयार करेगा और उसका सतत् रूप से विस्तार करेगा, जो कि भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण संचालित करने के लिए अपेक्षित कौशलों और क्षमताओं के व्यष्टिकों और संस्थानों के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा ;

(ख) परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन तैयार करके सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा संचालित किए जाने के लिए समुचित सरकार के अनुरोधों पर तुरंत कार्रवाई करेगा ;

(ग) सामाजिक समाघात निर्धारण दल और सामुदायिक सर्वेक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सक्षमतावर्धन कार्यक्रमों का संचालन करेगा तथा विश्लेषण के लिए अपेक्षित मैनुअलों, औजारों, तुलनात्मक मामला अध्ययन रिपोर्टों और अन्य सामग्रियों को उपलब्ध कराएगा ;

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान यथा अपेक्षित सतत् सहायता और संशोधनकारी कार्रवाई का उपबंध करेगा ;

(ड.) यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए संव्यवहार आधारित वेब आधारित वर्कफ्लो का नियम 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार अनुरक्षण किया जाता है तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सभी सुसंगत दस्तावेजों का प्रकटन किया जाता है ;

(च) सभी सामाजिक समाघात निर्धारण और सहबद्ध प्राइमरी सामग्रियों के कैटालॉग को रखेगा ; और

(छ) सामाजिक समाघात निर्धारण और संपूर्ण राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, में उसके संचालन के लिए उपलब्ध सक्षमताओं के लिए क़्वालिटी का लगातार पुनरीक्षण करेगा, मूल्यांकन करेगा और उसको सुदृढ बनाएगा ।

5. परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए प्रसंस्करण फीस – (1) जहां समुचित सरकार भूमि अर्जन का आशय रखती है, ऐसे भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव को सुसंगत दस्तावेजों के साथ सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को भेजा जाएगा, जो कि –

(क) समुचित दल आकार (और फील्ड दलों की संख्या) तथा दल के सदस्यों के प्रोफाइल को उपदर्शित करते हुए उन सभी कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हुए जो अनिवार्यत: किए जाने हैं, प्रत्येक भूमि अर्जन प्रस्ताव के लिए

निर्देश निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के ब्यौरे तैयार करेगा और इन नियमों के प्ररूप 1 के भाग अ में यथा दिए अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए मुख्य सुपुर्दगियों के लिए अनुसूची और अंतिम तारीख निश्चित करेगा ;

(ख) प्रत्येक मद या कार्यकलापों के लिए निर्देश-निबंधन के आधार पर सुस्पष्ट लागत विभाजन के साथ सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए अनुमानत: फीस का अवधारण । फीस की रकम समुचित सरकार द्वारा निश्चित किए गए पैरामीटरों, जिनके अंतर्गत क्षेत्र, परियोजना की किस्म और प्रभावित कुटुंबों की संख्या है, पर आधारित होगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण फीस का दस प्रतिशत सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को निर्देश-निबंधन तैयार करने के लिए प्रशासनिक व्यय और समुचित सरकार को अनुमानित सामाजिक समाघात निर्धारण फीस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आबंटित किया जाएगा ।

(3) अपेक्षक निकाय सामाजिक समाघात निर्धारण फीस को इस प्रयोजन के लिए समुचित सरकार के अधिसूचित बैंक में खाते में जमा करेगा ।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन.—(1) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, प्रत्येक परियोजना के लिए अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण संसाधन भागीदारों और व्यवसायियों के डाटा बेस में रजिस्ट्रीकृत या पैनलीकृत व्यष्टिकों और संस्थाओं में से सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

(2) अपेक्षक निकाय किसी भी प्रकार से सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए नियुक्त सामाजिक समाघात निर्धारण दल की नियुक्ति में शामिल नहीं होगा ।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के आकार और चयन के मापदंड राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा विकसित निर्देश-निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के अनुसार होंगे ।

(4) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन सामाजिक समाघात निर्धारण संचालन का या संबंधित फील्ड आधारित निर्धारण अनुभव रखने वाले व्यष्टिकों या संगठनों की नियुक्ति करके किया जाएगा और दल में निम्नलिखित शामिल हो सकेंगे—

(क) स्वतंत्र व्यवसायियों, अर्हित सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों का संयोजन, जो प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित निकाय के साथ संबद्ध नहीं है ; और

(ख) कम से कम एक महिला सदस्य;

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के साथ निर्धारण अवधि के दौरान संपर्क करने के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण दल में से एक दल नेता की नियुक्ति की जाएगी ।

(6) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि संबंधित परियोजना का निर्धारण करने के लिए नियुक्त दल के सदस्यों में कोई हित का द्वंद नहीं है ।

(7) (i) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुंब का कोई सदस्य प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अपेक्षक निकाय से या परियोजना में किसी अन्य पणधारी से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदा प्राप्त करता है तो उक्त सदस्य निरर्हित हो जाएगा।

(ii) सामाजिक समाघात निर्धारण के सभी सदस्य इस आशय का वचन देंगे कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुम्ब का कोई सदस्य प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अपेक्षक निकाय या परियोजना में अन्य किसी भी पणधारी से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

Indiacode

7. सामाजिक समाघात संचालित करने की प्रक्रिया.—(1) सामाजिक समाघात निर्धारण दल संख्यात्मक और मात्रात्मक डाटा के एक रेंज का संग्रहण और विश्लेषण करेगा, विस्तृत स्थल भ्रमण करेगा, केन्द्रित समूह विचार-विमर्श, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकों तथा सूचक साक्षात्कारों जैसी सहभागी विधियों का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने में उपयोग करेगा ।

(2) सभी सुसंगत परियोजना रिपोर्टों और साध्यता अध्ययनों को सामाजिक समाघात निर्धारण दल को सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रियाओं में यथा अपेक्षित अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा । सामाजिक समाघात निर्धारण दल से सूचना के लिए किसी अनुरोध को यथाशीघ्र किंतु दस दिन से पूर्व पूरा किया जाएगा । जिला कलेक्टर सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा सभी सुसंगत भूमि अभिलेखों और डाटा, फील्ड सत्यापन, समान परियोजनाओं के पुनरीक्षण और तुलना पर आधारित गहन विश्लेषणों के माध्यम से एक विस्तृत निर्धारण का संचालन किया जाएगा । निर्धारण निम्नलिखित का अवधारण करेगा, अर्थात् :-

(क) प्रस्तावित परियोजना के अधीन समाघात का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि तथा वह क्षेत्र भी है जो परियोजना के पर्यावरण, सामाजिक या अन्य समाघातों से प्रभावित होंगे ;

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और अवस्थिति;

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है ;

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थान और उनकी साध्यता ;

(ङ) क्या अर्जन के लिए अनुसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि प्रत्यक्ष अंतिम विकल्प है ;

(च) भूमि, यदि कोई है, पहले से ही क्रय की गई, अलग की गई, पट्टे पर दी गई या अर्जित की गई तथा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक आशयित प्लाट का उपयोग ;

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक, उपयोग न की जा रही भूमि की संभावना तथा क्या ऐसी कोई भूमि कब्जे के अधीन है ;

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का विद्यमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि पर सिंचाई की मात्रा तथा उगने वाली फसलों का पैटर्न ;

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा की बाबत विशेष उपबंधों का पालन किया गया है ;

(ञ) धृति का आकार, स्वामित्व पैटर्न, भूमि वितरण, आवासीय मकानों की संख्या, और लोक और निजी अवसंरचना और आस्तियां; और

(ट) भूमि की कीमतें और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षों में भूमियों का अंतरण और उपयोग ।

(4) भूमि निर्धारण, भूमि अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन पर आधारित सामाजिक समाघात निर्धारण प्रभावित कुटुंबों की संख्या और उनमें से विस्थापित कुटुंबों की संख्या का एक सही प्राक्कलन देगा और जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण दल सभी प्रभावित कुटुंबों की गणना करेगा :

परंतु जहां पर गणना संभव नहीं है, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा एक प्रतिनिधि नमूना तैयार किया जाएगा ।

(5) प्रभावित क्षेत्र की, उपलब्ध आंकड़ों और सांख्यिकियों, क्षेत्र निरीक्षणों और परामर्शों पर आधारित एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा प्ररूप 2 के अनुसार तैयार की जानी चाहिए :

परंतु उन परियोजनाओं में जहां पुनर्व्यवस्थापन अपेक्षित है, पहचान किए गए पुनर्व्यवस्थापन स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और भूमि और उसके वर्तमान निवासी जनसंख्या की एक संक्षिप्त सामाजिक, आर्थिक रूपरेखा उपदर्शित की जाएगी ।

(6) ऊपर सूचित प्रक्रियाओं में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर और प्रभावित समुदायों और प्रमुख पण से परामर्श करके सामाजिक समाघात निर्धारण, प्ररूप 2 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन से सहयुक्त सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक समाघातों की प्रकृति, विस्तार और गहनता की पहचान और उसका निर्धारण करेगा ।

(7) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को तैयार करना भी है जो निर्धारण के प्रक्रम पर पहचान किए गए सामाजिक समाघातों पर ध्यान देने के लिए किए जाने वाले बेहतर उपायों को प्रस्तुत करेगी।

(ii) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा लागत, सामयिकता और क्षमता के स्पष्ट उपदर्शन सहित समाघात शमन और प्रबंध युक्तियों की व्यवहार्यता को निर्धारित किया जाना चाहिए ।

(iii) सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय होंगे -

(क) जो अधिनियम में यथावर्णित प्रभावित कुटुंबों के सभी वर्गों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा प्रतिकर के निबंधनानुसार विनिर्दिष्ट किए गए हैं ;

(ख) कि अपेक्षक निकाय ने यह कथन किया है कि वह परियोजना प्रस्ताव और अन्य सुसंगत परियोजना दस्तावेजों का जिम्मा लेगी ;

(ग) अपेक्षक निकाय द्वारा किए जाने वाले वे अतिरिक्त उपाय, जो इसके द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के निष्कर्षों और जन सुनवाई की प्रतिक्रिया में किए गए हैं।

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन के प्रतिकूल सामाजिक समाघातों और सामाजिक लागतों और लाभों के संतुलन और वितरण का निश्चायक निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए जिसके अंतर्गत शमन उपाय भी हैं और यह निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए कि क्या प्रस्तावित परियोजना से फायदे उन सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों से अधिक हैं जिनके प्रभावित कुटुंबों द्वारा अनुभूत किए जाने की संभावना है या प्रस्तावित शमन उपायों के पश्चात् भी प्रभावित कुटुंब उक्त भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन के परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बदतर होने की जोखिम में रहे ।

8. जन सुनवाईयां करने के लिए प्रक्रिया -- (1) जन सुनवाईयां सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य निष्कर्षों को स्पष्ट करने, निष्कर्षों की प्रतिपुष्टि चाहने और उन्हें अंतिम दस्तावेजों में सम्मिलित करने के लिए अतिरिक्त सूचना और विचार लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में की जानी चाहिए ।

(2) जन सुनवाईयां ऐसी सभी ग्राम सभाओं में की जाएंगी जहां सदस्य भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं ।

(3) जन सुनवाई की तारीख और स्थान की घोषणा और प्रचार, लोक अधिसूचनाओं तथा इश्तहारों और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के पांच किलोमीटर के घेरे के भीतर सभी गांवों में स्थानीय समाचार-पत्रों, रेडियो के माध्यम से, और ग्राम पंचायत या नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष संसूचना के माध्यम से और समुचित सरकार की वेबसाइट पर सूचना डालकर तीन सप्ताह पहले किए जाएंगे ।

(4) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप जन सुनवाई से तीन सप्ताह पहले स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया जाएगा और सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों और नगरपालिका

कार्यालयों में वितरित किया जाएगा। प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति जिला कलक्टर के कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ii) अपेक्षक निकाय को भी प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति तामील की जा सकेगी। रिपोर्ट और सारांश की पर्याप्त प्रतियां जन सुनवाई के दिन उपलब्ध कराई जाएगी। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों में सहभागी होने के लिए सुगम प्रदर्शन और अन्य दृष्टिगत साधन का उपयोग किया जाएगा ।

(5) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का सदस्य जन सुनवाई को सुकर बनाएगा जिसे समुचित स्तर के पदाभिहित सरकारी अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

(ii) ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को भी उनके क्रमिक क्षेत्रों में जन सुनवाई के लिए इंतजामों की बाबत सभी विनिश्चयों में सम्मिलित किया जाएगा ।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सहभागी कार्यवाहियों को समझ सकें और अपने विचार व्यक्त कर सकें, सभी कार्यवाहियां प्रभावी और विश्वसनीय अनुवादकों सहित स्थानीय भाषा में की जाएंगी ।

(7) अपेक्षक निकाय और पदाभिहित भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन कृत्यकारियों के प्रतिनिधि भी जन सुनवाई में हाजिर रहेंगे और प्रभावित पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और प्रसंगों पर ध्यान देंगे ।

(8) जन सुनवाईयों में हाजिर होने के लिए जन प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया को भी आमंत्रित किया जाएगा ।

(9) जन सुनवाई की कार्रवाईयों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और तदनुसार उसकी नकल तैयार की जाएगी । इस रिकार्डिंग और नकल को अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

(10) जन सुनवाईयों की समाप्ति के पश्चात् सामाजिक समाघात निर्धारण दल लोक अधिवेशनों में प्राप्त संपूर्ण प्रतिपुष्टि और एकत्रित सूचना का विश्लेषण करेगा और तदनुसार उसे अपने विश्लेषण सहित पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में सम्मिलित करेगा ।

(11) लोक अधिवेशन में उठाए गए प्रत्येक आक्षेप को अभिलिखित किया जाएगा और सामाजिक समाघात निर्धारण दल यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में प्रत्येक आक्षेप पर विचार किया जाएगा ।

9. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रस्तुत किया जाना -- अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना स्थानीय भाषा में तैयार की जाएगी और, यथास्थिति, पंचायत नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी और उसका प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर परिचालित इश्तहारों के रूप में प्रचार किया जाएगा तथा समुचित सरकार की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा ।

10. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना-- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को एकल दस्तावेज में सभी सुसंगत सूचना और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और ऐसे रूप में लेखबद्ध किया जाएगा जो विशिष्ट रूप से प्रभावित समुदायों के सदस्यों के लिए स्पष्ट, संक्षिप्त और सुगम हो ।

11. किसी विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन-- (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और इसके गठन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उस प्रभाव की अपनी सिफारिश करेगा ।

(2) विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उप खंड मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर प्रभावित क्षेत्रों में परिचालित इश्तहारों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर डाला जाएगा ।

12. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, आदि पर विचार-- (1) समुचित सरकार, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, कलक्टर की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की परीक्षा करेगी और अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्रों की सिफारिश करेगी जिससे जनता के न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में न्यूनतम विघ्न और प्रभावित व्यष्टिकों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उप खंड मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर प्रभावित क्षेत्रों में परिचालित इश्तहारों के रूप में प्रचारित किया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर डाला जाएगा ।

13. भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए वेब आधारित कार्य प्रगति और प्रबंध सूचना प्रणाली -- समुचित सरकार, एक समर्पित, उपयोक्ता अनुकूल वेबसाइट बनाएगी जो ऐसे सार्वजनिक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करे जिस पर सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना से आरंभ होकर विनिश्चय करने, कार्यान्वयन और संपरीक्षा से संबंधित प्रत्येक कदम को खोजते हुए प्रत्येक अर्जन मामले की संपूर्ण कार्य प्रगति को दर्शाया जाएगा ।

14. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया की बाबत अतिरिक्त प्रमाप-- मापदंड और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के लिए अंतर्वस्तुओं की एक सारणी प्ररूप 2 में दी गई है ।

15. बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित भूमि की सूची-- भूमि की न्यूनतम मात्रा के अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमियों के उपयोग को सुकर बनाने के लिए समुचित सरकार बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि और सरकार के भूमि बैंक में उपलब्ध भूमि की एक जिला स्तरीय सूची रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे सामाजिक समाघात निर्धारण दल और विशेषज्ञ समूह को उपलब्ध कराएगी । सूची रिपोर्ट को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा ।

अध्याय 3

सहमति

16. सहमति अपेक्षाएं -- (1) समुचित सरकार, संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सहित प्रभावित भू-स्वामियों की पूर्व सहमति प्ररूप 4 के भाग अ में अभिप्राप्त करेगी ।

(2) सहमति अभिप्राप्त करने की कवायद का जिम्मा समुचित सरकार द्वारा संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से लिया जाएगा जो पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया में उसकी सहायता करने के लिए उसके नियंत्रणाधीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा ।

(3) समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिकारों, भूमि में हक और अन्य राजस्व अभिलेखों से संबंधित अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जिससे पूर्व सहमति प्रक्रिया और भूमि अर्जन प्रारंभ करने के लिए भू-स्वामियों के नाम, भूमि पर अधिभोगियों और व्यष्टिकों की पहचान की जा सके ।

17. ग्राम सभा की सहमति -- (1) **जिला कलक्टर ग्राम पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषदों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके प्रभावित क्षेत्रों में तीन सप्ताह पहले विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के लिए तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा और ग्राम सभाओं में भाग लेने के लिए ग्राम सभा के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए जन-चेतना अभियान चलाएगा ।**

(2) **ऐसे सभी व्यक्तियों के, जो ग्राम सभा के अधिवेशन में हाजिर थे, नाम और हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उसका अभिलेख रखा जाएगा ।**

(3) **सहमति को विधिमान्य मानने के लिए गणपूर्ति, ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम पचास प्रतिशत से होगी :**

परंतु ग्राम सभा के अधिवेशन में ग्राम सभा की कुल महिला सदस्यों के एक-तिहाई महिला सदस्य उपस्थित होंगे ।

(4) **प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित निबंधनों और शर्तों सहित मुद्रित प्रतियां ग्राम सभा अधिवेशन के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी ।**

(5) (i) **लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के लिए अपेक्षक निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए समक्ष हैं, ऐसे सभी ग्राम सभा अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और ग्राम सभा सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।**

(ii) **निबंधन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, प्रतिकर और अपेक्षक निकाय द्वारा प्रतिबद्ध अन्य उपाय ग्राम सभा सदस्यों को स्थानीय भाषा में स्पष्ट किए जाएंगे और ऐसे निबंधन और शर्तों पर सदस्यों के साथ ही साथ अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे ।**

(6) (i) **विचार - विमर्श के पश्चात ग्राम सभा प्रस्तावित अर्जन के लिए सहमति देते या रोकते हुए प्ररूप** 4 **के भाग आ में बहुमत से एक संकल्प पारित करेगी और उस संकल्प में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए बातचीत के पश्चात निबंधन और शर्तें, प्रतिकर, समाघात प्रबंध और शमन अंतर्विष्ट होंगे जिसके लिए अपेक्षक निकाय प्रतिबद्ध है और जिस पर जिला कलक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी और अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हैं ।**

(ii) **एक बार प्राप्त ग्राम सभा संकल्प पर जिला कलक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी के प्रति हस्ताक्षरित होंगे और हस्ताक्षरित एक प्रति सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी ।**

(7) **कोई भी संकल्प, जिसमें परियोजना के लिए सहमति का एक स्पष्ट विवरण, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के बातचीत किए गए निबंधनों का विवरण अंतर्विष्ट नहीं है, अविधिमान्य होगा ।**

(8) **ग्राम सभा की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी, लेखबद्ध किए गए दस्तावेज को क्रमिक पंचायत कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर डाला जाएगा ।**

(9) **सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य ग्राम सभा अधिवेशनों में सहायता करने के लिए उपस्थित होंगे ।**

18. प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति -- (1) (i) **जिले के अधिकारियों द्वारा, लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं में उन सभी प्रभावित भू-स्वामियों की एक सूची, जिनसे सहमति अभिप्राप्त किया जाना आवश्यक है, सामाजिक समाघात निर्धारण दल के परामर्श से तैयार की जाएगी ।**

(ii) **सहमति अभिप्राप्त करने से कम से कम दस दिन पूर्व प्रभावित क्षेत्रों में सूची को इश्तहारों और पर्चों के रूप में और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर सूची प्रदर्शित करके उपलब्ध कराया जाएगा ।**

(2) किसी भी आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता का मत भी लिया जाएगा और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और दस दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा ।

(3) जिला कलक्टर, यथास्थिति, ग्राम पंचायतों, स्वायत्त जिला परिषदों, नगरपालिका , नगर निगम के प्रतिनिधियों से परामर्श करके ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू-स्वामियों का अधिवेशन आयोजित करने के लिए कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उसकी तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा ।

(4) अपेक्षक निकाय द्वारा सहमत प्रस्तावित निबंधन और शर्तों को प्रभावित भू-स्वामियों के अधिवेशन के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व स्थानीय भाषा में प्रत्येक प्रभावित भू-स्वामी को भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) (i) लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के लिए अपेक्षक निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए समक्ष हैं, ऐसे सभी ग्राम सभा अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे ।

(ii) निबंधन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, प्रतिकर और अपेक्षक निकाय द्वारा प्रतिबद्ध अन्य उपाय सदस्यों को स्थानीय भाषा में स्पष्ट किए जाएंगे और ऐसे निबंधन और शर्तों पर सदस्यों के साथ ही साथ अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे ।

(6) (i) अधिवेशन की समाप्ति पर प्रत्येक व्यष्टिक भू-स्वामी से हस्ताक्षरित घोषणा में यह उपदर्शित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या वह अंतर्वलित भूमि के अर्जन के लिए अपनी सहमति देता/देती है या रोकता/रोकती है ।

(ii) इस घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तों सहित संबंधित भू-धारक को दी जाएगी । घोषणा की प्राप्ति पर जिला कलक्टर या जिले के अधिकारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(7) (i) उन भू-स्वामियों को, जो अधिवेशन में हाजिर नहीं हो सके, भू-स्वामियों के अधिवेशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर पदाभिहित जिले के अधिकारियों को अपनी हस्ताक्षरित घोषणाओं को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए इंतजाम किया जाएगा ।

(ii) घोषणा प्ररूप प्राप्त होने पर, जिला कलक्टर या पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे और घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तों सहित प्रभावित भू-स्वामी को सौंपी जाएगी ।

(8) सहमति प्रक्रिया भू-स्वामियों के हस्ताक्षरित अथवा अंगूठे के निशान वाली, लिखित घोषणाओं के आधार पर अवधारित की जाएगी ।

(9) (i) भू-स्वामियों के अधिवेशन के दौरान प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति लेने की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और सभी कार्यवाहियों को लिखित दस्तावेज में होना चाहिए ।

(ii) सहमति प्रक्रिया का परिणाम पंचायत कार्यालयों में और समुचित सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

(10) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य प्रभावित भू-स्वामियों के अधिवेशन में सहायता करने के लिए उपस्थित होंगे ।

19. सहमति प्रक्रिया के लिए समुचित सरकार की भूमिका और उत्तरदायित्व -- (1) समुचित सरकार, सहमति अभिप्राप्त करने के लिए ग्राम सभाओं, पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषद अधिवेशन (उस दशा में जहां ग्राम सभा विद्यमान नहीं है या उसका गठन नहीं किया गया है) और प्रभावित भू-स्वामियों के अधिवेशनों की

तारीख, समय और स्थान अधिसूचित और प्रकाशित करेगी और सहमति प्रक्रिया में प्रभावित भू-स्वामियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जन चेतना अभियान आयोजित करेगी ।

(2) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस प्रत्येक सदस्य को, जिससे सहमति चाही गई है, स्थानीय भाषा में कम से कम तीन सप्ताह पूर्व निम्नलिखित उपलब्ध करा दिए गए हैं, अर्थात :--

(क) स्थानीय भाषा में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रारूप की एक प्रति (यदि तैयार हो);

(ख) प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित किया गया प्रारंभिक पैकेज;

(ग) ग्राम और इसके निवासियों द्वारा राजस्व विधियों, वन अधिकार अधिनियम और अन्य विधानों के अधीन वर्तमान में उपभोग किए जा रहे अधिकारों की सूची ;

(घ) जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन, जो यह प्रमाणित करता हो कि यदि किसी परियोजना हेतु सहमति का प्रत्याख्यान किया जाता है तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा और यह कथन कि सहमति अभिप्राप्त करने के क्रम में प्रपीड़न या अभित्रास का कोई भी प्रयत्न अवैध होगा; और

(ङ) सहमति प्रक्रिया की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रपीड़न का प्रयत्न किए जाने की दशा में संपर्क किए जाने वाले अधिकारी या प्राधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर सहित उसके संपर्क ब्यौरे ।

(3) जिला कलक्टर या जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त कोई पदधारी ग्राम सभा, पंचायत या स्वायत्त जिला परिषद (उस दशा में जहां ग्राम सभा विद्यमान नहीं है या उसका गठन नहीं किया गया है) और भू-स्वामियों के अधिवेशन में उपस्थित होगा ।

(4) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित भू-स्वामियों को सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं और सूचना के लिए सभी निवेदन सात दिन के भीतर दे दिए गए हैं ।

20. (1) सहमति प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षक निकाय की भूमिका और उत्तरदायित्व -- अपेक्षक निकाय, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के निबंधनों और शर्तों पर विनिश्चय करने और बातचीत करने के लिए सक्षम प्रतिनिधियों की नियुक्ति करेगी जो सहमति अभिप्राप्त करने के लिए प्रभावित भू-स्वामियों के अधिवेशन में उपस्थित होंगे और भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे ।

(2) अपेक्षक निकाय, सहमति लेने के पूर्व परियोजना पर सभी सूचना के साथ ही साथ अतिरिक्त सूचना, यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगी ।

प्ररूप 1

भाग अ, सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी निर्देश निबंधन और प्रक्रिया फीस

[नियम 5 का उप नियम (1) देखिए]

(i) सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी इकाई समुचित सरकार द्वारा भेजे गए भूमि अर्जन के प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करेगी और विनिर्दिष्ट परियोजना के निर्देश निबंधन और बजट प्रस्तुत करेगी । निर्देश निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया संबंधी फीस का अवधारण किया जाएगा, जिसे अपेक्षक निकाय द्वारा, सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी होने से पहले जमा करना होगा ।

(ii) निर्देश निबंधन में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी,--

(क) परियोजना का संक्षिप्त वर्णन, परियोजना क्षेत्र और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार ।

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के उद्देश्य और ऐसे सभी क्रियाकलाप, जो सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा किया जाना चाहिए ।

(ग) परियोजना और भूमि अर्जन के आकार और जटिलता के आधार पर सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया का अनुक्रम, समय सारणी और तारीख के साथ परिणाम दर्शित किए जाने की अंतिम निश्चित तिथि और ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की स्वीकृति लेनी अपेक्षित है अथवा नहीं ।

(घ) विनिर्दिष्ट परियोजना का सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए अपेक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण दल (क्षेत्र सर्वेक्षक सहित, यदि आवश्यक हो) का समुचित आकार और प्रोफाइल ।

(ङ) प्रत्येक मद अथवा क्रियाकलाप की स्पष्ट अलग-अलग लागत के साथ निर्देश निबंधन के आधार पर कोई परियोजना-विनिर्दिष्ट बजट ।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया में सुस्पष्ट-परिनिश्चित परिणाम के लिए गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल को निधि का संवितरण करने की समय सारणी ।

(iii) प्रत्येक विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए बनाए गए निर्देश निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया संबंधी फीस का अवधारण किया जाएगा और जो परियोजना और प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रकार, आकार, स्थान और संवेदनशीलता पर आधारित होगा । पृथक घटकों अथवा रेखा मदों के लिए प्रक्रिया संबंधी फीस बैंड और लागत से संबंधित जानकारी सुसंगत और आसान पहुंच में होनी चाहिए, जिससे अपेक्षक निकाय, उसका पहले से उसकी कीमत में गुणा कर सके । इन दरों का समय-समय पर पुनर्विलोकन और पुनरीक्षित करना चाहिए । फीस का एक निश्चित अनुपात सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के व्ययों को पूरा करने में किया जाएगा ।

भाग आ, सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

[नियम 3 का उप नियम (1) देखिए]

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,--

(क) परियोजना विकासकर्ता का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र ।

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें ।

(ग) यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा ।

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे ।

(ङ) इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीड़न या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी ।

प्ररूप 2

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

[नियम 3 का उप-नियम (3), नियम 7 का उप-नियम (5) और उप-नियम (6) और नियम 14 देखिए]

अ.—सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधी पैरामीटरों की सूची

1. परियोजना क्षेत्र में की जनसंख्या का जनसांख्यिकी विवरण

(क) आयु, लिंग, जाति, धर्म।

(ख) साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण स्तर ।

2. गरीबी के स्तर

3. दुर्बल समूह

(क) स्त्रियां, (ख) बालक, (ग) वृद्ध, (घ) स्त्री-प्रधान गृहस्थियां, (ड़.) निःशक़्त व्यक्ति

4. रक्त संबंधी नमूने और कुटुंब में स्त्रियों की भूमिका ।

5. सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन ।

6. प्रशासनिक संगठन ।

7. राजनीतिक संगठन ।

8. सिविल सोसाइटी संगठन और सामाजिक आन्दोलन ।

9. भूमि का उपयोग और जीविका ।

(क) कृषि उपयोगी और गैर-कृषि उपयोगी ।

(ख) भूमि की गुणवत्ता —मृदा, जल, वृक्ष, आदि ।

(ग) पशुधन ।

(घ) औपचारिक और अनौपचारिक संकर्म और रोजगार ।

(ड़.) श्रम श्रेणी और महिलाओं के कार्य गृहस्थवार विभाजन ।

(च) प्रवास ।

(छ) कुटुंब की आय के स्तर ।

(ज) जीविका की अधिमान्यता ।

(झ) खाद्य सुरक्षा ।

10. स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप

(क) औपचारिक और अनौपचारिक स्थानीय उद्योग ।

(ख) ऋण तक पहुंच ।

(ग) मजदूरी की दर ।

(घ) विनिर्दिष्ट जीविका के क्रियाकलाप, जिनमें स्त्रियां सम्मिलित हैं ।

11. कारक, जो स्थानीय जीविका में योगदान करते हैं

(क) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच ।

(ख) सामान्य संपत्ति संसाधन ।

(ग) निजी आस्तियां ।

(घ) सड़कें, परिवहन ।

IndiaCode

(ड़.) सिंचाई की सुविधाएं ।

(च) बाजार तक पहुंच ।

(छ) पर्यटन स्थल ।

(ज) जीविका संप्रवर्तन कार्यक्रम ।

(झ) सहकारी और अन्य जीविका संबंधी संगम ।

12. जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

(क) प्रत्यक्ष ज्ञान, सौंदर्यपरकता, मोह और अभिलाषा ।

(ख) बंदोबस्त पैटर्न ।

(ग) गृह।

(घ) सामुदायिक और नागरिक स्थान ।

(ड़.) धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकार के स्थल ।

(च) भौतिक अवसंरचना (जिसके अंतर्गत जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था आदि है) ।

(छ) लोक सेवा अवसंरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, लोक वितरण व्यवस्था) ।

(ज) सुरक्षा, अपराध, हिंसा ।

(झ) स्त्रियों के लिए सामाजिक मेल-मिलाप के स्थान ।

आ –महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात

(क) रोजगार के स्तर और प्रकार ।

(ख) अंतरीय-कुटुंब रोजगार पैटर्न ।

(ग) आय के स्तर ।

(घ) खाद्य सुरक्षा ।

(ड़.) जीवन निर्वाह का स्तर ।

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण ।

(छ) आर्थिक निर्भरता या सहजभेद्यता ।

(ज) स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन ।

(झ) दरिद्रता का जोखिम ।

(ञ) स्त्रियों की जीविका के विकल्पों तक पहुंच ।

2. भौतिक संसाधनों पर समाघात

(क) प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, वायु, जल, वनों पर समाघात ।

(ख) जीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव ।

3. निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात

(क) विद्यमान स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता ।

(ख) गृह व्यवस्था सुविधाओं की क्षमता ।

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव ।

(घ) बिजली और जलापूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था ।

IndiaCode

(ड़.) निजी आस्तियों जैसे बोर वेल, अस्थायी छप्पर आदि पर समाघात ।

4. स्वास्थ्य समाघात

(क) आंतरिक प्रवास के कारण स्वास्थ्य समाघात ।

(ख) निम्न पर विशेष बल देते हुए परियोजना क्रियाकलापों के कारण स्वास्थ्य समाघात:-

(i) स्त्रियों के स्वास्थ्य पर समाघात ।

(ii) वृद्धों पर समाघात ।

5. संस्कृति और सामाजिक संसंजन पर समाघात

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का रूपांतरण ।

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन ।

(ग) आर्थिक-पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव ।

(घ) सन्नियमों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर समाघात ।

(ड़.) अपराध और अवैध क्रियाकलाप ।

(च) विसंधान का तनाव ।

(छ) परिवार संसंजन के पृथक्करण का समाघात ।

(ज) स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा ।

6. परियोजना चक्र के विभिन्न प्रक्रमों पर समाघात

सामाजिक समाघात के प्रकार, समयानुपात, अवधि और तीव्रता परियोजना चक्र के प्रक्रमों पर निर्भर करेगी और इससे निकटता से जुड़ी रहेगी । नीचे समाघात की एक संकेतक सूची है–

(क) पूर्व सन्निर्माण चरण

(i) सेवाओं को प्रदान करने में व्यवधान ।

(ii) लाभकारी निवेश में गिरावट ।

(iii) भूमि का सट्टा ।

(iv) अनिश्चितता का तनाव ।

(ख) सन्निर्माण चरण

(i) विस्थापन और पुन:अवस्थापन ।

(ii) प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का आगमन ।

(iii) उनके स्वास्थ्य पर समाघात, जो लगातार सन्निर्माण स्थल के नजदीक रहते हैं ।

(ग) प्रवर्तन चरण

(i) सन्निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी ।

(ii) परियोजना के आर्थिक फायदे ।

(iii) नई अवसंरचना पर फायदे ।

(iv) सामाजिक संगठन का नया पैटर्न ।

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण

(i) आर्थिक अवसरों का घाटा ।

(ii) पर्यावरण निम्नीकरण और जीविका पर इसका समाघात ।

IndiaCode

(ड़.) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समाघात

(i) "प्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका प्रभावित कुटुम्बों (जैसे प्रत्यक्ष भूमि और जीविका खोने वाले) द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

(ii) "अप्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका भूमि अर्जन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रभावित, लेकिन परियोजना क्षेत्र में रह रहे परिवारों द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

(च) अंतरीय समाघात

(i) स्त्रियों, बालकों, वृद्धों और निःशक़्त लोगों पर समाघात ।

(ii) साधनों जैसे लिंग समाघात निर्धारण मिलान सूची और सहजभेद्यता तथा समुत्थान-शक्ति मानचित्रण द्वारा अभिघात समाघात ।

(छ) संचित समाघात

(i) प्रश्नगत परियोजना के लिए अभिज्ञात समाघात के साथ क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के निवारणीय और संभाव्य समाघात ।

(ii) उन व्यक्तियों पर समाघात, जो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र में नहीं है, लेकिन स्थानीय रूप से या यहां तक कि क्षेत्रीय रूप से जुड़े हैं।

इ. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के विषय-वस्तुओं की सारणी

अध्याय	विषय-वस्तु
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक प्रयोजन । (ख) स्थान । (ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता । (घ) अनुकल्पों पर विचार । (ड़.) सामाजिक समाघात । (च) कमी करने के उपाय । (छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण ।
परियोजना के विवरण का ब्यौरा	(क) परियोजना की पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित । (ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक़्त है, सूचीबद्ध मानदंडों सहित । (ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम का ब्यौरा । (घ) अनुकल्पों की परीक्षा । (ड़.) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं । (च) मूल डिजाइन की विशिष्टियां और सुविधाओं का आकार और प्रकार । (छ) सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता ।

	(ज) कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई और स्थाई) । (झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट । (ञ) लागू किए गए विधान और नीतियां ।
दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित । (ख) सामाजिक समाघात निर्धारण की सूचना संग्रहण हेतु प्रयोग होने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार और साधन (ग) नमूना प्रणाली का उपयोग । (घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन । विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्ररूपों में सम्मिलित करें । (ड़.) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची । लोक सुनवाईयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्ररूपों में सम्मिलित करें ।
भूमि अवधारण	(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत-नक्शों की सहायता से वर्ण करें । (ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है) (ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि । (घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस पास है, का उपयोग । (ड़.) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशयित उपयोग । (च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रयोजित भूमि का परिमाण और स्थान (छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम (ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या (झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग।
प्रभावित परिवारों और संपत्तियों (जहां अपेक्षित हो) का प्राक्कलन और प्रगणन	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है- (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि प्रयोजन के लिए अपेक्षित है)

Indiacode

	(i) किराएदार हैं अथवा प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि के अधिभोगी हैं। (ii) अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके अपने किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है। (iii) सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी । (iv) समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है। (v) भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं । (vi) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित हैं । (ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है) (ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की तालिका ।
सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)	(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा । (ख) आय एवं गरीबी स्तर । (ग) दुर्बल समूह । (घ) भूमि उपयोग और जीविका । (ड़.) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप । (च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है । (छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन । (ज) प्रशासनिक संगठन । (झ) राजनैतिक संगठन । (ञ) समुदाय-आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन । (ट) क्षेत्रीय सक्रियता और एतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं । (ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता ।
सामाजिक समाघात	(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्यढांचा और दृष्टिकोण । (ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति । प्रत्येक प्रकार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाघात और जहां लागू हो आकलित समाघात । (ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है : भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य पर समाघात, संस्कृति और सामाजिक ससंजन

	तथा लिंग आधारित समाघात ।
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें	(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न-विस्थापित अनुकल्प, भूमि की निम्नतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, कमी करने के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक, जहां कमी करने के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या का समाधान करेगा के बारे में अंतिम निष्कर्ष (ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम 9(10) में वार्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं , विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जाएगा ।
निर्देश और प्ररूप	निर्देशों और आगे सूचना के लिए ।

प्ररूप 3

[नियम 3 का उप नियम (4) देखिए]

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

1. कमी करने पर दृष्टिकोण ।
2. समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूरित करने के उपाय ।
3. उपाय, जो अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन एवं प्रतिकर के निबंधन में सम्मिलित हैं।
4. उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन कि वह परियोजना के प्रस्ताव में पुर:स्थापन करेगा ।
5. अतिरिक्त उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन कि वह सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने के लिए वचनबद्ध होगा ।
6. सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में संस्थागत संरचना का वर्णन और प्रत्येक शमन निवारण के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और समय-सीमा तथा प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए लागत सम्मिलित होने चाहिए ।

प्ररूप 4

भाग अ--पूर्व लेखबद्ध स्वीकृति/घोषणा प्रारूप

[नियम 16 का उप नियम (1) देखिए]

क्रम सं0	संबंधित व्यक्ति के ब्यौरे	
1.	अधिनियम की धारा 3 (ग) (i) एवं (v) के अनुसार व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम:	
2.	पति/पत्नी का नाम :	
3.	पिता/माता का नाम :	
4.	पता:	

5.	**ग्राम/बस्ती:**		
6.	**ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरी:**		
7.	**तहसील/तालुका:**		
8.	**जिला:**		
9.	**कुटुंब में अन्य सदस्यों का नाम और आयु (बच्चों और आश्रित वयस्कों सहित) :**		
10.	**स्वामित्व भूमि का विस्तार:**		
11.	**अर्जन के लिए क्षेत्र :**		
12.	**प्लाट नम्बर:**		
13.	**अधिकारों का अभिलेख**		
14.	**विवादित भूमि, यदि कोई हो**		
15.	**पट्टा/लीज/अनुदान, यदि हो**		
16.	**कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो :**		
17.	**सरकार द्वारा मेरी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूं (कृपया नीचे दिए गए (i), (ii) एवं (iii) के सामने हां अथवा नहीं पर गोला लगाएं) :**		
(i)	**मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है और भाषा में मुझे समझा दिया गया है और**	**हां**	**नहीं**
(ii)	**मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूं।**	**हां**	**नहीं**
(iii)	**मैं इस अर्जन से सहमत हूं।**	**हां**	**नहीं**
		प्रभावित कुटुंब (कुटुंबों) के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख	
18.	**अपेक्षक निकाय द्वारा निबंधन एवं शर्तों, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन, प्रतिकर एवं अन्य उपायों के बारे में की गयी बचनबद्धता स्थानीय भाषा में समझा दी गयी है। ये निबंधन और शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए ।**		
	हस्ताक्षर लेने वाले पदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख		
	यदि वे स्वीकृति देने से इंकार करते हैं या यदि वे यह कथन चुनते हैं कि वे इस प्ररूप पर स्वीकृति नहीं देते हैं तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें कोई हानि पहुंचाना विधि के अधीन एक अपराध है । इसमें, कोई धमकी या ऐसा कृत्य, जिससे उन्हें धन		

IndiaCode

	की हानि पहुंचे, जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करे या कृत्य, जिसके परिणामस्वरूप उनके कुटुंब को क्षति पहुंचे, सम्मिलित है। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी गई है तो यह प्ररूप अकृत और शून्य है।

भाग आ--ग्राम सभा के संकल्प के लिए प्ररूप

[नियम 17 का उप नियम (6) देखिए]

हम, जिले में तहसील/तालुका की पंचायत के भीतर की ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित सदस्य कथन करना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रमाणीकरण प्रशासन और पदधारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर है । यदि यह जानकारी अपूर्ण है या गलत है और/या यदि कोई सहमति किसी धमकी, कपट या मिथ्या निरूपण का प्रयोग करके प्राप्त की गई है तो यह अकृत और शून्य है । इस आधार पर यह ग्राम सभा प्रमाणित करती है कि प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृत/स्वीकृति से इंकार किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित अंतर्वलित होंगे :

..... एकड़ निजी भूमि का अर्जन

परियोजना के लिए एकड़ सरकारी भूमि का अंतरण

परियोजना के लिए एकड़ वन भूमि का अंतरण

अपेक्षक निकाय (नाम का कथन करें) द्वारा सहमत प्रतिकर के निबंधन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लाभ और सामाजिक समाघात अल्पीकरण के उपाय संलग्न हैं ।

ग्राम सभा यह भी कथन करती है कि कोई स्वीकृति वनों पर और वन भूमि पर उनके व्यष्टिक और सामुदायिक अधिकार, जिसमें वह वन भूमि, जिस पर वे कृषि कर रहे हैं, के लिए उनका हक, लघु वन उत्पाद का उपयोग करने वाले सभी प्रकार, के लिए स्वामित्व हक और अपने समुदाय वन की सुरक्षा करने और प्रबंध करने के लिए हक सम्मिलित है, अपने सभी निवासियों को प्राप्त हक के अध्यधीन है । [टिप्पण : यह ग्राम सभा द्वारा अलग से प्रमाणित करना होगा ।]

.....

ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान और तारीख

.....

संकल्प प्राप्त होने पर पदाभिहित जिला अधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख

[फा. सं. 13011/01/2014-एलआरडी]

प्रभात कुमार सांरगी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(Department of Land Resources)
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

G.S.R. 574(E).—Whereas certain draft rules, namely the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2014 were published as required under section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources), number G.S.R. 101(E), dated the 20th February, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 20th February, 2014 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 7th March, 2014;

And whereas, the objections and the suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (a), (c), (d), (t) and (u) of Sub-section (2) of Section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

Chapter I
GENERAL

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013);

(b) "Form" means the Form appended to these rules;

(c) "Social Impact Assessment" means an assessment made under sub-section (1) of Section 4 of the Act;

(d) "Social Impact Management Plan" means the plan prepared as part of Social Impact Assessment process under Sub-section (6) of Section 4 of the Act;

(e) "Section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter II
SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

3. Social Impact Assessment study.—(1) The appropriate Government shall, for the purpose of the Act, issue a notification for carrying out Social Impact Assessment in accordance with Part-B of FORM-I of these rules regarding the commencement of Social Impact Assessment and the same shall be made available in the local language to the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be published in the form of posters and pamphlets circulated in the affected area, and by affixing the posters at conspicuous places in the affected areas and shall be uploaded on the website of the appropriate Government:

Provided that such notification shall be issued within thirty days after the deposit of the processing fee for carrying Social Impact Assessment by the Requiring Body, which shall be determined under sub-rule (1) of rule 5.

(2) The Social Impact Assessment shall be conducted in consultation with concerned Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, at village level or ward level in the affected areas, for the purposes of section 4 of the Act, followed by a public hearing at the affected areas by giving adequate publicity about the date and time and venue for the public hearing to ascertain the views of the affected families which shall be recorded in writing.

(3) The Social Impact Assessment Report shall be submitted in FORM-II to the appropriate Government within a period of six months from the date of its commencement and shall include the views of the affected families recorded in writing.

(4) The Social Impact Management Plan listing the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact of the project under sub-section (6) of section 4 of the Act shall be submitted in FORM-III along with the Social Impact Assessment Report.

(5) The Social Impact Assessment Report and the Social Impact Management Plan shall be made available in the local language of the concerned Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, at village level or ward level in the affected areas and in the Offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and shall be uploaded on the website of the appropriate Government.

4. Institutional support and facilitation for Social Impact Assessment.—(1) The appropriate Government shall identify or establish an independent organisation which shall be responsible for ensuring that Social Impact Assessments are commissioned and conducted by such person or bodies other than the Requiring Body as per the provisions of the Act.

(2) The Social Impact Assessment Unit shall undertake the following tasks namely:-

(a) build and continuously expand a Database of Qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners, which will serve as a network of individuals and institutions with the required skills and capacities to conduct Social Impact Assessments for land acquisition and Rehabilitation and Resettlement;

(b) respond immediately to the appropriate Government's request for a Social Impact Assessment to be conducted by preparing a project-specific Terms of Reference;

(c) conduct training and capacity building programmes for the Social Impact Assessment team and community surveyors and make available manuals, tools, comparative case study reports and other materials required for the analysis;

(d) provide ongoing support and corrective action, as required during the Social Impact Assessment process;

(e) ensure that the transaction based web-based workflow for Social Impact Assessments and Management Information System for Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement as specified in rule 13 is maintained and that all relevant documents are disclosed as per the provisions of the Act;

(f) maintain, catalogue of all Social Impact Assessments and associated primary material; and

(g) continuously review, evaluate and strengthen the quality of Social Impact Assessments and the capacities available to conduct them across the State or Union Territory as the case may be.

5. Project-specific Terms of Reference and Processing Fee for the Social Impact Assessment.— (1) Where the appropriate Government intends to acquire land, the proposal for such land acquisition shall be sent along with all the relevant documents to the Social Impact Assessment Unit, which shall —

(a) prepare a detailed project-specific Terms of Reference for each proposal of land acquisition, listing all the activities that must be carried out indicating the appropriate team size (and number of field teams) and profile of the team members, and stipulate the schedule and deadlines for key deliverables for the Social Impact Assessment as detailed in Part-A of FORM-I to these rules;

(b) determine an estimated Social Impact Assessment fee based on the Terms of Reference with clear break-up of costs for each item or activity. The fee amount shall be based on the parameters defined by the appropriate government including area, type of project and number of affected families.

(2) Ten per cent. of the Social Impact Assessment fee shall be allocated to Social Impact Assessment Unit as administrative expenses for preparing the Terms of Reference and estimated Social Impact Assessment fee report and to submit the same to the appropriate Government.

(3) The Requiring Body shall deposit the Social Impact Assessment fee in the Scheduled Bank account of the appropriate Government for the purpose.

6. Selection of the Social Impact Assessment team.— (1) The Social Impact Assessment Unit shall be responsible for selecting the Social Impact Assessment team for each project from the individuals and institutions registered or empanelled in the Database of Qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners.

(2) The Requiring Body shall not be involved in any way in the appointment of the Social Impact Assessment team being appointed to carry out the Social Impact Assessment.

(3) The size and selection criteria for the Social Impact Assessment team shall be as per the project-specific Terms of Reference developed by the Social Impact Assessment Unit.

(4) The Social Impact Assessment team may be constituted by appointing individuals or an organisation with experience in conducting Social Impact Assessments or related field-based assessments and the team may include—

(a) a combination of independent practitioners, qualified social activists, academics, technical experts, who are not directly connected with the requiring body; and

(b) at least one woman member;

(5) A team leader shall be appointed from amongst the Social Impact Assessment team to liaison with the Social Impact Assessment Unit throughout the assessment period.

(6) While selecting the Social Impact Assessment team, it is to be ensured that there is no conflict of interest involving the team members appointed to assess the concerned project.

(7) (i) If at any stage, it is found that any team member or any family member of the team member directly or indirectly receives any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project, the said member shall be disqualified.

(ii) All the members of Social Impact Assessment team shall give an undertaking that any team member or any family member of the team member directly or indirectly shall not receive any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project.

7. Process of conducting the Social Impact Assessment.— (1) The Social Impact Assessment team shall collect and analyse a range of quantitative and qualitative data, undertake detailed site visits, use participatory methods such as focused group discussions, participatory rural appraisal techniques and informant interviews in preparing the Social Impact Assessment report.

(2) All relevant project reports and feasibility studies shall be made available to the Social Impact Assessment team throughout the Social Impact Assessment process, as required. Any request for information from Social Impact Assessment team shall be met at the earliest but not exceeding ten days. The District Collector shall be responsible for providing the information requisitioned by the Social Impact Assessment team.

(3) A detailed assessment based on a thorough analysis of all relevant land records and data, field verification, review and comparison with similar projects shall be conducted by the Social Impact Assessment team. The assessment shall determine the following, namely:-

(a) area of impact under the proposed project, including both land to be acquired and areas that will be affected by environmental, social or other impacts of the project;

(b) quantity and location of land proposed to be acquired for the project;

(c) the land proposed for acquisition is the bare minimum required;

(d) possible alternative sites for the project and their feasibility;

(e) whether, the land proposed for acquisition in Scheduled Area is a demonstrable last resort;

(f) land, if any, already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of land required for the project;

(g) the possibility of use of any public, unutilised land for the project and whether any of such land is under occupation;

(h) nature of the land, present use and classification of land and if it is an agricultural land, the irrigation coverage for the said land and the cropping pattern;

(i) the special provisions with respect to food security have been adhered to in the proposed land acquisition;

(j) size of holdings, ownership patterns, land distribution, number of residential houses, and public and private infrastructure and assets; and

(k) land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last three years.

(4) Based on the land assessment, land records and field verification, the Social Impact Assessment shall provide an accurate estimate of the number of affected families and the number of displaced families among them and ensure that, as far as possible, the Social Impact Assessment team shall enumerate all affected families:

Provided that where enumeration is not possible, a representative sample shall be done by the Social Impact Assessment Unit.

(5) A socio-economic and cultural profile of the affected area must be prepared, based on available data and statistics, field visits and consultations as per FORM-II:

Provided that in projects where resettlement is required, the identified resettlement sites shall be visited and a brief socio-economic profile of the land and its current resident population shall be indicated.

(6) Basing on the data collected in processes listed above and in consultation with the affected communities and key stakeholders, the Social Impact Assessment shall identify and assess the nature, extent and intensity of the positive and negative social impacts associated with the proposed project and land acquisition as per FORM-II.

(7) (i) The Social Impact Assessment process includes the preparation of a Social Impact Management Plan, which will present the ameliorative measures to be undertaken to address the social impacts identified in the course of the assessment.

(ii) The Social Impact Assessment team must assess the viability of impact mitigation and management strategies with clear indication of costs, timelines and capacities.

(iii) The Social Impact Management Plan shall include the following measures:-

(a) that have been specified in the terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation for all the categories of affected families as outlined in the Act;

(b) that the Requiring Body has stated that it will undertake in the project proposal and other relevant project documents; and

(c) that additional measures being undertaken by the Requiring Body, which has been undertaken by it in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings.

(8) The Social Impact Assessment must provide a conclusive assessment of the balance and distribution of the adverse social impacts and social costs and benefits of the proposed project and land acquisition, including the mitigation measures, and provide an assessment as to whether the benefits from the proposed project exceed the social costs and adverse social impacts that are likely to be experienced by the affected families or even after the proposed mitigation measures, the affected families remained at risk of being economically or socially worse, as a result of the said land acquisition and resettlement.

8. Process for conducting public hearings.— (1) Public hearings shall be held in the affected areas to bring out the main findings of the Social Impact Assessment, seeking feedback on the findings and to seek additional information and views for incorporating the same in the final documents.

(2) Public hearings shall be conducted in all Gram Sabhas where members are directly or indirectly affected by the acquisition of the land:

(3) The date and venue of the public hearing must be announced and publicised three weeks in advance through public notifications and posters in all the villages within a radius of five kilometres of the land proposed to be acquired, advertisement in local newspapers, radio, and through direct communication with Gram Panchayat or Municipal Ward representatives and by uploading the information on the website of the appropriate Government.

(4) (i) The draft Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan shall be published in the local language three weeks prior to the public hearing and distributed to all affected Gram Panchayats and Municipal offices. One copy of the draft report shall be made available in the District Collector's office.

(ii) The Requiring Body may also be served with a copy of the draft report. Adequate copies of the report and summaries shall be made available on the day of the public hearing. Accessible displays and other visual shall be used to share the findings of the Social Impact Assessment report.

(5) (i) A member of the Social Impact Assessment team shall facilitate the public hearing which shall be organised through the local administration with the designated government officers of appropriate level.

(ii) The Gram Panchayat or Municipal Ward representatives shall also be included in all the decisions regarding the arrangements for the public hearings in their respective areas.

(6) All the proceedings shall be held in the local language with effective and credible translators to ensure that all the participants could understand and express their views.

(7) Representatives from the Requiring Body and designated land acquisition and Rehabilitation and Resettlement functionaries shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

(8) Public representatives, local voluntary Organisations and media shall also be invited to attend the public hearings.

(9) The proceedings of the public hearing shall be video recorded and transcribed accordingly. This recording and transcription shall be submitted along with the final Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.

(10) After the conclusion of the public hearings, the Social Impact Assessment team shall analyse the entire feedback received and information gathered in the public meetings and incorporate the same along with their analysis, in the revised Social Impact Assessment Report accordingly.

(11) Every objection raised in the public meeting shall be recorded and the Social Impact Assessment team shall ensure that the every objection shall be considered in the Social Impact Assessment Report.

9. Submission of Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.— The final Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan shall be prepared in the local language and shall be made available to Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be propagated in the form of posters circulated in the affected areas by affixing the posters in conspicuous places and shall also be uploaded on the website of the appropriate Government.

10. Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.—The Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan shall be formulated keeping in view all the relevant information and analysis in a single document and reduced to writing that is clear, concise and accessible, in particular to the members of the affected communities.

11. Appraisal of Social Impact Assessment Report by an Expert Group.—(1)The Expert Group constituted under Sub-section (1) of Section 7 of the Act shall evaluate the Social Impact Assessment Report and shall make its recommendation to that effect within a period of two months from the date of its constitution.

(2) The recommendations of the Expert Group shall be made available in the local language to the concerned Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, at village level or ward level in the affected areas and in the Offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be published in the form of posters circulated in the affected areas and by affixing them in conspicuous places in the affected areas and shall be uploaded on the website of the appropriate Government.

12. Consideration of the Social Impact Assessment Report, recommendations of the Expert Group etc..—(1) The appropriate Government shall examine the Social Impact Assessment Report, the recommendations of the Expert Group, report of the Collector, if any, and recommend such area for acquisition which would ensure minimum displacement of people, minimum disturbance to the infrastructure, ecology and minimum adverse impact on the individuals affected.

(2) The recommendation of the appropriate Government under sub-section (1) shall be made available in the local language to the concerned Panchayat, Municipality or Municipal Corporation at village level or ward level in the affected areas and in the Offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be propagated in the form of posters circulated in the affected areas and by affixing the posters in conspicuous places and shall also be uploaded on the website of the appropriate Government.

13. Web-based Work Flow and Management Information System for Land Acquisition and Rehabilitation & Resettlement.—The appropriate Government shall create a dedicated, user-friendly website that may serve as a public platform on which the entire work flow of each acquisition case will be hosted, beginning with the notification of the Social Impact Assessment and tracking each step of decision-making, implementation and audit.

14. Additional Norms with regard to the Social Impact Assessment Process.—Parameters and a table of contents for the Social Impact Assessment Study and the Social Impact Management Plan are given in FORM-II.

15. Inventory of Waste, Barren and Unutilised Land.—To ensure acquisition of minimum amount of land and to facilitate the utilisation of unutilised public lands, the appropriate Government shall prepare a district-level inventory report of waste, barren and unutilised public land, and land available in the Government land bank and shall be made available to the Social Impact Assessment team and Expert group. The inventory report shall be updated from time to time.

Chapter III
CONSENT

16. Consent Requirements.—(1) The appropriate Government, through the concerned District Collector, shall obtain prior consent of the affected land owners in PART-A of FORM-IV along with the Social Impact Assessment study.

(2) The exercise of obtaining the consent shall be undertaken by the appropriate Government, through the concerned District Collector, who may appoint officers under his control to assist him in the process of obtaining the prior consent.

(3) The appropriate Government shall take necessary steps for updating the records relating to land rights, title in the land and other revenue records in the affected areas, so that the names of land owners, occupants of the land and individuals be identified for initiating the prior consent process and land acquisition.

17. Consent of the Gram Sabha.—(1) The District Collector shall in consultation with the representatives of the Gram Panchayats or Autonomous District Councils notify the date, timing and venue for holding special Gram Sabhas in the affected areas three weeks in advance and conduct public awareness campaigns to motivate members of the Gram Sabhas to participate in the Gram Sabhas.

(2) The names and signatures of all the members who attended the meeting of the Gram Sabha shall be taken and kept in the records.

(3) The quorum shall be at least fifty per cent of the total members of the Gram Sabha for considering the consent as valid:

Provided that one third of the total women members of the Gram Sabha shall also be present in the Gram Sabha meeting.

(4) Printed copies with the proposed terms and conditions for compensation, rehabilitation and resettlement shall be made available in the local language at least three weeks prior to the Gram Sabha meeting.

(5) (i) For public private partnership projects and projects by private companies, representatives of the Requiring Body, who are competent to take decision and negotiate terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation shall be present at all such Gram Sabha meetings and respond to the queries raised by the Gram Sabha members.

(ii) The terms and conditions, Rehabilitation and Resettlement, compensation committed by the Requiring Body shall be explained to the Gram Sabha members in the local language and signatures of the members as well as the representative of Requiring Body shall be obtained on such terms and conditions.

(6) (i) After deliberations, the Gram Sabha shall pass a resolution with majority in PART-B of FORM-IV giving or withholding consent for the proposed acquisition and the resolution shall contain the negotiated terms and conditions for Rehabilitation and Resettlement, compensation, impact management and mitigation that the Requiring Body has committed and which have been signed by the District Collector or designated district officer and the representative of the Requiring Body.

(ii) The Gram Sabha resolution once received shall be counter signed by the District Collector or a designated District Officer and a signed copy shall be handed over to all the panchayat representatives.

(7) Any resolution that does not explicitly contain a statement of consent to the project, a statement of the negotiated terms of compensation and Rehabilitation and Resettlement shall be invalid.

(8) All the proceedings of the Gram Sabha shall be video recorded, documented in writing and shall be made available in the respective panchayat offices and uploaded on the website of the appropriate Government.

(9) Members of the Social Impact Assessment team shall be present to assist the Gram Sabha meetings.

18. Consent of the Affected Land owners.—(1) (i) In Public Private Partnership projects and projects by private companies, a list of all affected land owners from whom consent is required to be obtained shall be drawn up by district officers in consultation with the Social Impact Assessment team.

(ii) The list shall be made available in the affected area, in the form of posters and handouts and by displaying the list in conspicuous places of the affected areas for at least ten days before obtaining consent.

(2) In case of any objection, the views of the objector shall also be taken, and the reasons for doing so shall be recorded in writing and conveyed to the concerned person within ten days.

IndiaCode

(3) The District Collector shall in consultation with the representatives of Gram Panchayats, Autonomous District Councils, municipality, municipal corporations, as the case may be, notify the date, time and venue at least three weeks in advance, for holding the affected land owners meetings at the village or ward level.

(4) The proposed terms and conditions agreed to by the Requiring Body shall also be made available in local language at least three weeks in advance of the meeting of the affected land owners to each and every affected land owner.

(5) (i) For public private partnership projects and projects by private companies, representatives of the Requiring Body, who are competent to take decision and negotiate terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation shall be present at all such affected land owners meetings and respond to the queries raised by the affected land owners .

(ii) The terms and conditions, Rehabilitation and Resettlement, compensation committed by the Requiring Body shall be explained to the members in the local language and signatures of the members as well as the representative of Requiring Body shall be obtained on such terms and conditions.

(6) (i) At the conclusion of the meeting, each individual land owner shall be asked to indicate in the signed declaration whether he or she gives or withholds consent for the acquisition of land involved.

(ii) A copy of this declaration with the attached terms and conditions shall be given to the land holder concerned. The declaration shall be countersigned by the District Collector or district officers on its receipt.

(7) (i) Arrangements shall be made for those who could not attend the land owners meeting for enabling them to submit their signed declarations to the designated district officer within twenty one days from the date of land owners meeting.

(ii) The declaration form shall be counter-signed by the District Collector or designated officer on its receipt and a copy of the declaration, with the attached terms and conditions shall be handed over to the affected landowner.

(8) Consent procedure shall be determined on the basis of the signed or thumb impression, written declarations of land owners.

(9) (i) All proceedings of taking affected land owners' consent during land owners meetings shall be recorded in video and all the proceedings must be documented in writing.

(ii) The outcome of the consent process shall be made available in panchayat offices and on the web site of the appropriate Government.

(10) Members of the Social Impact Assessment team shall be present to assist the affected land owners meeting.

19. Roles and responsibilities of the appropriate Government for consent processes.— (1) The appropriate government shall notify and publish the date, time and venue of Gram Sabhas, Panchayats or Autonomous District Council meetings (in cases where Gram Sabha does not exist or has not been constituted) and affected land owners meetings for obtaining the consent and organise public awareness campaigns to encourage participation of the affected land owners in the consent processes.

(2) The appropriate Government shall ensure that the following are provided at least three weeks in advance to every member from whom consent is sought, in the local language, namely:—

(a) a copy of the draft Social Impact Assessment report (if readily available) in the local language;

(b) initial package being offered for compensation and Rehabilitation and Resettlement;

(c) a list of the rights currently enjoyed by the village and its residents under revenue laws, Forest Rights Act and other legislations;

(d) a written statement signed by the District Collector, certifying that there will be no consequences, if consent is denied for a project and stating that any attempt to coerce or intimidate in order to obtain consent shall be illegal; and

(e) contact details of the officer or authority along with official telephone number to be contacted in case of any attempt to coerce for signing the declaration of consent process.

(3) The District Collector or any official appointed by the District Collector shall attend the Gram Sabhas, Panchayats or Autonomous District Councils (in cases where Gram Sabha does not exist or has not been constituted) and land owners meetings.

(4) The appropriate Government shall ensure that all the documents relating to Social Impact Assessment are made available to the affected land owners and all requests for information are provided within seven days.

20. Roles and responsibilities of the Requiring Body for consent processes.—(1) The Requiring Body shall appoint representatives competent to take decisions and negotiate terms and condition of compensation and Rehabilitation and Resettlement, who shall be present in the meetings of affected land owners for obtaining the consent and reply to the queries raised by the land owners.

(2) The Requiring Body shall provide all the information on the project, prior to the taking of consent as well as any additional information, if required.

FORM–I

Part -A. Terms of Reference and Processing Fee for the Social Impact Assessment

[See sub-rule (1) of rule 5]

(i) The Social Impact Assessment Unit will review the proposal for land acquisition sent by the appropriate Government and produce a project-specific Terms of Reference and budget. Based on the Terms of Reference and budget, a processing fee will be determined, which must be deposited by the Requiring Body before the notification of the Social Impact Assessment can be issued.

(ii) The Terms of Reference shall include the following information:-

(a) A brief description of the project, project area and the extent of lands proposed for acquisition.
(b) The objectives of the Social Impact Assessment and all the activities that must be carried out by the Social Impact Assessment team.
(c) Sequencing, schedule and deadlines for deliverables with dates for the Social Impact Assessment process, based on the size and complexity of the project and land acquisition, and whether consent of Gram Sabhas and/or land owners is required to be sought.
(d) The appropriate size and profile of the Social Impact Assessment team required (including field surveyors if needed) to conduct the Social Impact Assessment for the specific project.
(e) A project-specific budget based on the Terms of Reference, with a clear break-up of costs for each item or activity.
(f) The schedule for the disbursement of funds to the Social Impact Assessment team tied to clearly-defined deliverables in the Social Impact Assessment process.

(iii) The processing fee will be determined based on the Terms of Reference and budget developed for each specific project and will be based on the type, size, location, and sensitivity of the project and the land proposed for acquisition. Information regarding the processing fee bands and the cost for separate components or line items must be made consistent and easily accessible, so that the Requiring Body can factor this into its costs in advance. These rates must be reviewed and revised from time to time. A fixed proportion of the fee will go towards meeting the costs of the Social Impact Assessment Unit.

Part-B. Notification of the Social Impact Assessment

[See sub-rule (1) of rule 3]

The notification of the Social Impact Assessment must include:-

(a) Name of project developer, a brief description of the proposed project and the extent of the lands proposed for acquisition, the project area and the affected areas to be covered by the Social Impact Assessment.
(b) The main objectives of the Social Impact Assessment and key activities including (i) consultations (ii) survey (iii) public hearing/s.
(c) If consent of Gram Sabhas and/or land owners is required, the notification must state this.
(d) The timeline for the Social Impact Assessment and the final deliverables (Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan) along with the manner of their disclosure must be specified.
(e) Statement that any attempt at coercion or threat during this period will render the exercise null and void.
(f) Contact information of the Social Impact Assessment Unit.

FORM-II

Social Impact Assessment Report

[See sub-rule (3) of rule 3, sub-rule (5) & (6) of rule 7 and rule 14]

A. List of socio-economic and cultural parameters to be covered by the Social Impact Assessment

1. Demographic details of the population in the project area
 (a) Age, sex, caste, religion
 (b) Literacy, health and nutritional status
2. Poverty levels
3. Vulnerable groups

(a) Women, (b) children, (c) the elderly, (d) women-headed households, (e) the differently abled

4. Kinship patterns and women's role in the family
5. Social and cultural organisation
6. Administrative organisation
7. Political organisation
8. Civil society organisations and social movements
9. Land use and livelihood
 (a) Agricultural and non-agricultural use
 (b) Quality of land – soil, water, trees etc.
 (c) Livestock
 (d) Formal and informal work and employment
 (e) Household division of labour and women's work
 (f) Migration
 (g) Household income levels
 (h) Livelihood preferences
 (i) Food security
10. Local economic activities
 (a) Formal and informal, local industries
 (b) Access to credit
 (c) Wage rates
 (d) Specific livelihood activities women are involved in
11. Factors that contribute to local livelihoods
 (a) Access to natural resources
 (b) Common property resources
 (c) Private assets
 (d) Roads, transportation
 (e) Irrigation facilities
 (f) Access to markets
 (g) Tourist sites
 (h) Livelihood promotion programmes
 (i) Co-operatives and other livelihood-related associations
12. Quality of the living environment
 (a) Perceptions, aesthetic qualities, attachments and aspirations
 (b) Settlement patterns
 (c) Houses
 (d) Community and civic spaces
 (e) Sites of religious and cultural meaning
 (f) Physical infrastructure (including water supply, sewage systems etc.)
 (g) Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres, public distribution system)
 (h) Safety, crime, violence
 (i) Social gathering points for women

B. Key impact areas

1. Impacts on land, livelihoods and income
 (a) Level and type of employment
 (b) Intra-household employment patterns
 (c) Income levels
 (d) Food security
 (e) Standard of living
 (f) Access and control over productive resources
 (g) Economic dependency or vulnerability
 (h) Disruption of local economy
 (i) Impoverishment risks
 (j) Women's access to livelihood alternatives

IndiaCode

2. Impacts on physical resources
 (a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
 (b) Pressures on land and common property natural resources for livelihoods

3. Impacts on private assets, public services and utilities

 (a) Capacity of existing health and education facilities
 (b) Capacity of housing facilities
 (c) Pressure on supply of local services
 (d) Adequacy of electrical and water supply, roads, sanitation and waste management system
 (e) Impact on private assets such as bore wells, temporary sheds etc.

4. Health impacts

 (a) Health impacts due to in-migration
 (b) Health impacts due to project activities with a special emphasis on:-
 (i) Impact on women's health
 (ii) Impact on the elderly

5. Impacts on culture and social cohesion

 (a) Transformation of local political structures
 (b) Demographic changes
 (c) Shifts in the economy-ecology balance
 (d) Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life
 (e) Crime and illicit activities
 (f) Stress of dislocation
 (g) Impact of separation of family cohesion
 (h) Violence against women

6. Impacts at different stages of the project cycle

The type, timing, duration, and intensity of social impacts will depend on and relate closely to the stages of the project cycle. Below is an indicative list of impacts

(a) Pre-construction phase

 (i) Interruption in the delivery of services
 (ii) Drop in productive investment
 (iii) Land speculation
 (iv) Stress of uncertainty

(b) Construction phase

 (i) Displacement and relocation
 (ii) Influx of migrant construction workforce
 (iii) Health impacts on those who continue to live close to the construction site

(c) Operation phase
 (i) Reduction in employment opportunities compared to the construction phase
 (ii) Economic benefits of the project
 (iii) Benefits on new infrastructure
 (iv) New patterns of social organisation

(d) De-commissioning phase
 (i) Loss of economic opportunities
 (ii) Environmental degradation and its impact on livelihoods

(e) Direct and indirect impacts
 (i) "Direct impacts" will include all impacts that are likely to be experienced by the *affected families* (i.e. Direct land and livelihood losers)
 (ii) "Indirect impacts" will include all impacts that may be experienced by those not directly affected by the acquisition of land but those living in the project area

(f) Differential impacts
 (i) Impact on women, children, the elderly and the different abled
 (ii) Impacts identified through tools such as Gender Impact Assessment Checklists, and Vulnerability and Resilience Mapping

IndiaCode

(g) Cumulative impacts
 (i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question.
 (ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

C. Table of Contents for Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan

Chapter	Contents
Executive Summary	(a) Project and public purpose (b) Location (c) Size and attributes of land acquisition (d) Alternatives considered (e) Social Impacts (f) Mitigation measures (g) Assessment of social costs and benefits
Detailed Project Description	(a) Background of the project, including developers background and governance or management structure (b) Rationale for project including how the project fits the public purpose criteria listed in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. (c) Details of project size, location, capacity, outputs, production targets, cost, risks (d) Examination of alternatives (e) Phases of project construction (f) Core design features and size and type of facilities (g) Need for ancillary infrastructural facilities (h) Work force requirements (temporary and permanent) (i) Details of Social Impact Assessment or Environmental Impact Assessment if already conducted and any technical feasibility reports (j) Applicable legislations and policies
Team composition, approach, methodology and Schedule of the Social Impact Assessment	(a) List of all team members with qualifications. Gender experts to be included in team. (b) Description and rationale for the methodology and tools used to collect information for the Social Impact Assessment. (c) Sampling methodology used. (d) Overview of information or data sources used. Detailed reference must be included separately in the forms. (e) Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public hearings conducted. Details of the public hearings and the specific feedback incorporated into the Report must be included in the forms.
Land Assessment	(a) Information from land inventories and primary sources - Describe with the help of the maps (b) Entire area of impact under the influence of the project (not limited to land area for acquisition) (c) Total land requirement for the project (d) Present use of any public, unutilised land in the vicinity of the project area (e) Land (if any) already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of land required for the project (f) Quantity and location of land proposed to be acquired for the project (g) Nature, present use and classification of land and if agricultural land, irrigation coverage and cropping patterns (h) Size of holdings, ownership patterns, land distribution, and number of residential houses

	(i) Land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last 3 years
Estimation and enumeration (where required) of affected families and assets	Estimation of the following types of families that are - (a) Directly affected (own land that is proposed to be acquired): (i) Are tenants or occupy the land proposed to be acquired (ii) The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights (iii) Depend on common property resources which will be affected due to acquisition of land for their livelihood (iv) Have been assigned land by the appropriate Government under any of its schemes and such land is under acquisition; (v) Have been residing on any land in the urban areas for preceding three years or more prior to the acquisition of the land (vi) Have depended on the land being acquired as a primary source of livelihood for three years prior to the acquisition (b) Indirectly impacted by the project (not affected directly by the acquisition of own lands) (c) Inventory of productive assets and significant lands
Socio-economic and cultural profile (affected area and resettlement site)	(a) Demographic details of the population in the project area (b) Income and poverty levels (c) Vulnerable groups (d) Land use and livelihood (e) Local economic activities (f) Factors that contribute to local livelihoods (g) Kinship patterns and social and cultural organisation (h) Administrative organisation (i) Political organisation (j) Community-based and civil society organisations (k) Regional dynamics and historical change processes (l) Quality of the living environment
Social impacts	(a) Framework and approach to identifying impacts (b) Description of impacts at various stages of the project cycle such as impacts on health and livelihoods and culture. For each type of impact, separate indication of whether it is a direct or indirect impact, differential impacts on different categories of affected families and where applicable cumulative impacts (c) Indicative list of impacts areas include: impacts on land, livelihoods and income, physical resources, private assets, public services and utilities, health, culture and social cohesion and gender based impacts
Analysis of costs and benefits and recommendation on acquisition	(a) Final conclusions on: assessment of public purpose, less-displacing alternatives, minimum requirements of land, the nature and intensity of social impacts, the viability of the mitigation measures and the extent to which mitigation measures described in the Social Impact Management Plan will address the full range of social impacts and adverse social costs. (b) The above analysis will use the equity principle described in Rule 9(10) as a criteria of analysis for presenting a final recommendation on whether the acquisition should go through or not
References and Forms	For reference and further information

IndiaCode

FORM-III

(See sub-rule (4) of rule 3)

Social Impact Management Plan

1. Approach to mitigation
2. Measures to avoid, mitigate and compensate impact
3. Measures that are included in the terms of Rehabilitation & Resettlement and compensation as outlined in the Act
4. Measures that the Requiring Body has stated it will introduce in the Project Proposal
5. Additional measures that the Requiring Body has stated it will undertake in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings
6. The Social Impact Management Plan must include a description of institutional structures and key person responsible for each mitigation measure and timelines and costs for each activity

FORM - IV

PART-A. PRIOR WRITTEN CONSENT / DECLARATION FORM

[See sub-rule (1) of rule 16]

S. No.	*Details of Person Concerned*		
1.	Name of the person(s) as per section 3(c) (i) & (v) of the Act:		
2.	Name of the spouse:		
3.	Name of father/ mother:		
4.	Address:		
5.	Village / Basti:		
6.	Gram Panchayat / Municipality / Township:		
7.	Tehsil/ Taluka:		
8.	District:		
9.	Name of other members in the family with age: (including children and adult dependents)		
10.	Extent of land owned:		
11.	Area for the acquisition		
12.	Plot No.		
13.	Record of Rights		
14.	Disputed lands if any		
15.	Pattas/ leases/ grants, if any		
16.	Any other right, including tenancy, if any:		
17.	Regarding the acquisition of my land by the government, I wish to state the following (please circle)		
	(i) I have read/readout the contents of this consent form and explained to me in _____language and	Yes	No
	(ii) I do not agree to this acquisition	Yes	No
	(iii) I agree to this acquisition	Yes	No
	Signature or Thumb impression of the affected family(s) and date:		
18.	The terms and conditions, Rehabilitation and Resettlement, compensation and other measures committed by the Requiring Body have been explained in the local language. These terms and conditions must be attached to the Form.		
	Date and Signature of designated district official receiving the signed form		
	It is a crime under law to threaten any person or to cause them any harm if they refuse to consent or if they choose to state that they do not consent on this form. This includes any threat or act that causes them to lose money, that hurts them physically or that results in harm to their family. If any such threat has been made this form is null and void.		

IndiaCode

PART-B. FORMAT FOR GRAM SABHA RESOLUTION

[See sub-rule (6) of rule 17]

We, the undersigned members of the Gram Sabha of _____ within _____ panchayat of _____ tehsil/taluka in _____district wishes to state that the following certification is based on the information supplied by the administration and officials. If this information is incomplete or incorrect or if any consent has been obtained through any use of threats, fraud or misrepresentation, it is null and void. On this basis, this Gram Sabha hereby certifies that it CONSENTS / REFUSES TO CONSENT to the proposed _____ project, which will involve:

— acquisition of _____ acres of private land.
— transfer of _____ acres of government land to the project.
— transfer of _____ acres of forest land to the project.

The terms and conditions of compensation, rehabilitation and resettlements benefits and social impact mitigation measures agreed to by the Requiring Body (state the name) are attached.

The Gram Sabha also states that any consent is subject to all of its residents receiving title to all of their individual and community rights over forests and forest lands, including their titles for forest land that they have been cultivating, ownership titles for all forms of minor forest produce that they use, and titles to protect and manage their community forests. [Note: This will have to be certified by this Gram Sabha separately.]

Date and signatures/thumb impressions of Gram Sabha members

Date and Signature of designated district officer on receipt of the Resolution

[F. No. 13011/01/2014-LRD]

PRABHAT KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.